न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–57 / 2020 (2020 / 00142) **दर्ज दिनांक 29.06.2020**
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. देवीलाल आत्मज मोहनलाल शर्मा
2. नंदलाल आत्मज मोहनलाल शर्मा
3. नारायणलाल आत्मज मोहनलाल शर्मा
4. भेरूलाल आत्मज मोहनलाल शर्मा

सर्व निवासी सुण्डा का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. गोरीसिंह आत्मज रतनसिंह राजपुत
2. महेन्द्रसिंह आत्मज रतनसिंह राजपुत
3. नीलमकंवर पुत्री रतनसिंह राजपुत
4. कुन्दनसिंह आत्मज मोहब्बतसिंह राजपुत
5. विक्रमसिंह आत्मज मोहब्बतसिंह राजपुत
6. ताराकंवर पुत्री मोहब्बतसिंह राजपुत
7. फुलकंवर पत्नि मोहब्बतसिंह राजपुत

सर्व निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीगण:– श्री विवेकानंद शर्मा

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय **दिनांक:–26.02.2021**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4849 / 4293 रकबा 0.18 हे0, 4850 / 4294 रकबा 0.77 हे0, 4851 / 4295 रकबा 0.04 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.99 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 250 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:38:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण [illegible] विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लग[illegible] बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही [illegible] आदेश दिये गये। [illegible] पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रकरण संख्या :—57 / 2020 (2020 / 00142)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4849 / 4293 रकबा 0.18 हे0, 4850 / 4294 रकबा 0.77 हे0, 4851 / 4295 रकबा 0.04 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.99 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 250 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450 / — (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450 / — (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:38:30 IST
Reason: SelfAttested